न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर (जि. भरतपुर)

[पीठासीन अधिकारी – गंगाधर मीना, (आर.ए.एस)]

प्रकरण संख्याः– 111/20 दर्ज दिनांक 23.09.2020

1.कलुआराम पुत्र परभाती जाति धोबी निवासी ग्राम हिसामडा तहसील वैर जिला भरतपुर। हाल निवासी ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

————प्रार्थी

बनाम

1.ताराचन्द पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

————अप्रार्थी

उपस्थितः– प्रार्थी अधिवक्ता :– चन्दनसिंह डागुर।
अप्रार्थी अधिवक्ता :– श्री मानसिंह धाकड।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 13.05.2026

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम हलैना तहसील वैर में स्थित आराजी खसरा नम्बरान 803 रकबा 0.33 हैक्ट0 पुराना खसरा नम्बर 1586/631 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा है। प्रार्थी जिसके सम्पूर्ण भाग का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। अप्रार्थी का उक्त आराजी का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रार्थी की उक्त आराजी की चारों ओर कदीमी डौल मेड व सीमाए बनी हुई है। कुछ भाग पर प्रार्थी का सटर चढा हुआ रिहायशी बाडा बना हुआ है। व सिंचाई हेतु डीप बोर लगा हुआ है। शेष भूमि पर काश्त हो रही है। प्रार्थी कमजोर गरीब व अनुसूचित जाति का सदस्य है जबकि अप्रार्थी सवर्ण जाति के सदस्य है। अप्रार्थी सरगना व लठैत व्यक्ति है। जो प्रार्थी से रंजिश रखता है। अप्रार्थी प्रार्थी को लठ्ठ व ताकत के बल पर विवादित आराजी से वेदखल करना चहाता है। दिनांक 10.09.2020 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को खुली धमकी दी है कि मै तुम्हारे रिहायशी पुख्ता वाडे को जबरन लठ्ठ के बल पर तोड दूगा व वेदखल कर दूंगा। विवादित आराजी में शान्ति पूर्वक काश्त करने नही दूंगा। अप्रार्थी अपनी उक्त धमकी में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार सम्भव नही हो सकेगी। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2023 को पेश कर प्रार्थना पत्र की अधिकांश मदो को अस्वीकार कर वर्णन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1586/631 में सटर चढा हुआ रिहायशी पुख्ता बाडा बना बताया है जबकि वह बाडा नही बल्कि दुकाने है। विवादित आराजी में अप्रार्थी की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकाने बना ली है। प्रार्थी ने पूर्व खसरा नम्बर की खातेदारी परमोली पुत्र बुद्वा कोली निवासी अलीपुर तहसील महवा जिला दौसा के नाम थी जिस पर रामस्वरूप पुत्र मोती माली निवासी हलैना एवं फूलसिंह पुत्र रामजीलाल माली निवासी हिसामडा का कब्जा था उन्होने प्रतिवादी के खसरा नम्बर 1587/631 की

उपखण्ड अधिकारी
वैर (भरतपुर)

कन्वर्जन शुदा भूमि पर अतिक्रमण निर्माण किया था। इस बाबत जिसका वाद संख्या 176/2003 उनवानी ताराचन्द बनाम रामस्वरूप आदि के नाम से न्यायालय ए.सी.जे.एम.कोर्ट वैर में चला था, जो प्रतिवादी ताराचन्द के हक में डिक्री हो गया जिसकी अपील ए.डी.जे. वैर में चल रही है। दौराने दावा संख्या 176/2003 उनवानी ताराचन्द बनाम रामस्वरूप आदि के प्रतिवादी ने चालाकी से वादी कलुआ के नाम खसरा नम्बर 1586/631 की खातेदारी ट्रान्सफर करवा दी और मुकदमा नं0 176/2003 की इजराय से बचने के लिये रामस्वरूप, फूलसिंह, परमोली ने कलुआ की बेनामी सम्पति के रूप में ट्रान्सफर करा कर यह दावा पेश किया है, जबकि निर्माण प्रतिवादी के खसरा नम्बर 1687/631 की कन्वर्जन शुदा भूमि में हा रहा है, जिसको जरिये मैन्डेटरी इन्जकशन तोडकर साफ करने के आदेश डिक्री माननीय सिविल कोर्ट एसीजेएम वैर में हो चुका है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग एवं पत्रावली में संलग्न माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर के प्रकरण संख्या 176/2013 उनवानी वाद ताराचन्द बनाम रामस्वरूप के निर्णय दिनांक 03.09.2020 आदि का अवलोकन किया। चूंकि विवादित आराजीयात बावत् अधिकारो का निर्धारण होना है। जो मूल वाद के तनकीयात कायम होने पर वक्त निर्णय साक्ष्य के आधार पर तय किए जावेंगे। विवादित आराजीयात बावत् पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं हो, न्यायालय हाजा से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.09.2020 को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाना न्याय उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.09.2020 प्रतिवादी गैरसायल को आराजी खसरा नम्बर 803 रकबा 0.33 हैक्ट0 पुराना खसरा नम्बर 1586/631 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा ग्राम हलैना तहसील वैर में मौके की यथास्थिति बाबत् मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.05.26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, वैर (भरतपुर)।